

## संसदीय विशेषाधिकारों का हनन

**स्रोत: हदिसतान टाइम्स**

**राष्ट्रपति के अभिषेक** पर टपिणी किये जाने के पश्चात् कुछ **सांसदों** के खिलाफ **संसदीय विशेषाधिकार हनन** का औपचारिक नोटिस दायर किया गया।

- **विशेषाधिकार का उल्लंघन** तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी **सदस्य** या **सदन** के विशेषाधिकारों, **अधिकारों** या **उन्मुक्तियों** की **अवहेलना** करता है या उन पर **आक्षेप** करता है।
- **परिचय:** **संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्ति** सांसदों और **वधायकों** को **बाहरी हस्तक्षेप** के **बिना** उनका **प्रभावी कार्य-चालन सुनिश्चित** करने हेतु **प्रदत्त विशेष अधिकार** हैं।
- **स्रोत:**
  - **संवधान** का **अनुच्छेद 105, 122, 194** और **212**।
  - **संसदीय परंपराएँ** (वर्ष 1947 की **ब्रिटिश संसदीय परिषदी** पर आधारित)।
  - **प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियम** (**लोकसभा** और **राज्यसभा**)
  - **न्यायिक निर्वाचन** (**सर्वोच्च न्यायालय** और **उच्च न्यायालय** के **नियम**)
  - **सांविधिक वधियाँ** (**संसद** द्वारा **अधिनियम** वधियाँ) (वर्तमान में, **संसदीय विशेषाधिकारों** को **परिभाषित** करने वाला **संसद** का कोई **अधिनियम** नहीं है)।
- **संसदीय विशेषाधिकार में शामिल हैं:**
  - **वैयक्तिक विशेषाधिकार:** **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**, **वधिकि कार्यवाही** से **उन्मुक्ति**, **गरिफ्तारी** से **उन्मुक्ति** आदि।
  - **सामूहिक विशेषाधिकार:** **गुप्त बैठकें**, **अन्वेषण शक्तियाँ**, **न्यायिक उन्मुक्ति** आदि।
- **अनुच्छेद 87** के तहत, **राष्ट्रपति**, **लोकसभा** के लिये **प्रत्येक साधारण निर्वाचन** के पश्चात् **प्रथम सत्र** के **आरंभ** में और **प्रत्येक वर्ष** के **प्रथम सत्र** के **आरंभ** में **एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिषेक** करेगा।

और पढ़ें: **संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ**